an>

Title: Regarding disbursal of amount of subsidy through bank accounts of farmers in Supaul Parliamentary Constituency, Bihar.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) ः मैं अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल (बिहार) में किसानों के साथ हो रही परेशानी के बारे में बताना चाहती हूँ।

सुपौल में कृषि विभाग की शिथिलता के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते कई माह पहले किसानों ने अनुदानित दर पर गेहूं का बीज क्रय किया था, जहां पर उक्त बीजों के क्रय किये जाने के समय किसानों ने विभाग द्वारा निर्धारित राशि जमा किया। किसानों ने कृषि विभाग द्वारा चिन्हित क्रय केंद्र से बीज खरीदा एवं उक्त समय उन लोगों को जानकारी दी गयी कि किसानों को अनुदान का लाभ पाने के लिए आवेदन के साथ पहले पूरी राशि जमा करानी होगी एवं एक सप्ताह में संबंधित किसानों को अनुदान स्वरूप मिलने वाली राशि आर.टी.जी.एस. के माध्यम से संबंधित किसानों के खातों में भेज दिया जाएगा, लेकिन महीनों गुजर जाने के बाद भी किसानों को मिलने वाली अनुदान की राशि किसानों के खातों में नहीं आयी है। इस कारण किसानों की खेती पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस तरह से सरकार के द्वारा किसानों को कृषि कार्य करने एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उर्वरक एवं कृषि उपकरण पर भी अनुदान देती है, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण उन लोगों को अनुदान की राशि नहीं मिल पाती है। सरकार के द्वारा विभाग को ससमय योजना मद की राशि उपलब्ध करवायी जाती रही है, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण उन लोगों को अनुदान की राशि समय पर नहीं मिल पाती है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि किसानों से पूर्ण राशि जमा कराये जाने के बजाय अनुदान काट कर ही जमा लिया जाना चाहिए ताकि अनुदान की राशि के लिए किसानों को चक्कर काटने पर विवश न होना पड़े।

अतः मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जटिल नियमों एवं अफसरशाही के चंगुल से किसानों को बचाने एवं कृषक हित को देखते हुए ऐसा नियम बनाया जाये कि किसानों से पूर्ण राशि जमा कराये जाने के बजाय अनुदान की राशि को काटकर ही जमा लिया जाना चाहिए ताकि अनुदान की राशि के लिए किसानों को चक्कर काटने पर विवश न होना पड़े।